न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आई0डी0सं03528/2012/एलआर/बीकानेर
राजेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर

---प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान

--- अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री हरिशंकर भारद्वाज, सदस्य

उपस्थित:
श्री एन0के0गोयल, अभिभाषक प्रार्थी
श्री शान्तीप्रकाश ओझा, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक 14 जून, 2012

निर्णय

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा निगरानी कोलो0/1234/2006/बीकानेर में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 5-4-2012 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को चक 5 पी0एस0एम0 मु0नं0140/20 किला नं01 ता 25, मु0नं0141/13 किला नं01 ता 20 कुल 49 बीधा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 12-3-90 को किया गया था। उक्त आवंटन दिनांक 24-4-2000 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन कालोयत द्वारा निरस्त किया गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28-12-05 से अपील खारिज कर दी। इससे क्षुब्ध होकर राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसे मण्डल की एकल पीठ द्वारा दिनांक 5-4-2012 को निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4- अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में नजरसानी प्रार्थना पत्र में उठाये गये तर्को को पुनः दोहराते हुए अनुरोध किया कि राजस्व मण्डल की एकल पीठ के आलोच्य निर्णय में अभिलेख के आमुख पर प्रकट अनेक त्रुटियॉ हैं अतः उसे पुनर्विलोकित किया जाये।

5– उनका कथन है कि आवंटन अधिकारी के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्देश पर आवंटन दिनांक 12–3–90 को करने के पश्चात उसे पुनः निरस्त नहीं किया जा सकता। मण्डल ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर आलोच्य निर्णय पारित किया है जो अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि है।

6– उनका यह भी कथन है कि निगराकार ने आवंटन के लिये प्रस्तुत आवेदन में कोई तथ्य नहीं छुपाये ऐसी स्थिति में यदि कोई त्रुटि हुई है तो वह आवंटन अधिकारी के स्तर पर हुई है जिसके लिए आवंटी को दण्डित नहीं किया जा सकता। विद्वान एकल पीठ ने इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया है जो गंभीर विधिक त्रुटि है।

7– उनका यह भी कथन है कि निगराकार आवंटन के दिन न सरकारी नौकरी में था एवं न ही प्राईवेट नौकरी में। इस प्रकार तथ्यों के छुपाने का कोई आधार नहीं है अतः आलोच्य निर्णय पुनर्विलोकनीय है।

8– उनका यह भी कथन है कि उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को मण्डल की एकल पीठ ने उद्‌धृत नहीं किया है जो अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि है।

9– उनका यह भी कथन है कि आवंटी को आराजी 1990 में आवंटित की गई। उसने उसके विकसित करने में पूरा श्रम एवं धन व्यय किया। 12 वर्ष पश्चात उसे उसके फल से वंचित करना उचित नहीं है। इस संबंध में उन्होंने 1993 आरआरडी 596 को उदृधृत किया।

10– उन्होंने यह भी कथित किया कि मण्डल की एकल पीठ ने प्रकरण में बहस दिनांक 24–2–2012 को सुनी जबकि निर्णय दिनांक 5–4–2012 को सुनाया जो 30 दिवस से अधिक अवधि के पश्चात सुनाया गया है। निर्णय को विलम्ब से सुनाना पुनर्विलोकन का आधार है। उन्होंने इसके समर्थन में कन्हैयालाल बनाम अनूप कुमार कुमार 2003 आर0बी0जे0 76 उदधृत किया। अंत में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

ए0आई0आर0 2005 एस0सी 592

आर0बी0जे0(13) 2006 पेज 235

2002 आरआरडी 815

आर0बी0जे(10)2003 पेज 76 एस0सी0

11– राज्य सरकार की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता श्री एस0पी0ओझा ने प्रार्थी के अभिभाषक के तर्कों का खण्डन करते हुए कथित किया कि राजस्व

मण्डल की माननीय एकल पीठ के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में अभिलेख के आमुख पर प्रकट कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अपास्तनीय है।

12– उनका कथन है कि न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्विलोकित करने का अत्यन्त सीमित अधिकार है। न्यायालय निर्णय के पुनर्विलोकन करते समय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने इस संबंध में ए0आई0आर0 1955 एस0सी0455 एवं 1973 आरआरडी पेज 273 को उद्धृत किया।

13– उनका यह भी कथन है कि न्यायालय को अपने द्वारा पारित निर्णय का तभी पुनर्विलोकन करना चाहिए जब 1992 आरआरडी 388 पर माननीय न्यायालय के अनुसार Error is so glaring that the court would not like to retain it on the record.

14– उनका आगे कथन है कि अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क कि उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का उद्धृत नहीं किया गया अतः निर्णय को संशोधित किया जाये, पुनर्विलोकन कार्यवाही में निर्णय को परिवर्तित करने का उचित आधार नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

1997 डी0एन0जे0(राज0) 286

15– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के अनुसार माननीय न्यायालय का तो यहाँ तक मानना है कि view taken in the judgement may be erroneous but cannot be ground of review- RRT 2005(1)545 SC अंत में उन्होनें पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

16– हमनें उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 5–4–2012 का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात को भी अवलोकित किया।

17– अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन है कि आवंटन अधिकारी के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की अनुपालना में किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधिकार नहीं है अथवा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन के द्वारा शिकायत को खारिज करने के उपरांत आवंटन अधिकारी आवंटन को निरस्त नहीं कर सकता इन तथ्यों को राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय में विचारित नहीं किया है। अतः यह अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि है जो पुनर्विलोकनीय है, सही नहीं है। इस संबंध में में इस न्यायालय की एकल पीठ ने इस प्रश्न पर

विचार कर यह निर्णीत किया है कि आवंटन को निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक भूल नहीं की है। मण्डल की एकल पीठ ने इस बिन्दु पर विचारण कर निर्णय दिया है। न्यायालय का विचारण एवं निष्कर्ष यदि त्रुटिपरक है तो भी उसे पुनर्विलोकित नहीं किया जा सकता जैसा कि उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2005(1) 545 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है।

1995 आरआरडी 374 पर तो यहाँ तक घोषित किया गया है कि

"An erroneous view of law on a debatable point or a wrong exposition of law or a wrong application of law or failure to apply the appropriate law cannot be considered to be a mistake or an error apparent on the face of record."

18— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी को आवंटन 1990 में हुआ था। उसने 12 वर्ष में पूरे श्रम एवं समय एवं धन व्यय करके उसे विकसित किया है अब उसे उससे वंचित करना न्याय का मजाक है, अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय हो सकता है किन्तु यह निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं है।

19— अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन कि उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय में उद्धृत नहीं किया है के संबंध में निवेदन है कि उनके द्वारा बहस में न्यायिक दृष्टांतों की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। जिन न्यायिक दृष्टांतों को मौखिक बहस के समय उद्धृत किया था उन्हें प्रकरण में चस्पा नहीं होने के कारण उनका उद्धरण नहीं किया है। वैसे माननीय उच्च न्यायालय ने 1997 डी0एन0जे0 (राज0)286 न्यायिक दृष्टांतों में उद्धरित नहीं किये जाने को पुनर्विलोकन का आधार नहीं माना है।

20— उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। इसमें उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1983 आरआरडी 596 एवं ए0आई0आर0 2005 एस0सी0 592 के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न होने के कारण हम उन्हें चस्पा करने में असमर्थ हैं। आर0बी0जे0(13)2006 पेज 235 अभिभाषक प्रार्थी के तर्को को संबल प्रदान नहीं करते हैं। 2007 आरआरडी 815 पर उद्धृत न्यायिक दृष्टांत के भी प्रस्तुत प्रकरण से तथ्य भिन्न होने के कारण हम उन्हें चस्पा करने में असमर्थ हैं।

21— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने मण्डल की एकल पीठ के द्वारा प्रकरण की बहस सुनने के पश्चात 30 दिन से अधिक अवधि में निर्णय पारित करने को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्हैया बनाम अनूपकुमार प्रकरण में आरबीजे(10)

2003 पेज 76 पर दिये निर्णय के विपरीत बताया हैं। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य उक्त निर्णय के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। उक्त प्रकरण में सुनवाई नवम्बर 1990 में करने के बाद लगभग साढ़े तीन वर्ष के बाद न्यायालय ने दिनांक 7–5–93 को निर्णय सुनाया गया था जबकि इस न्यायालय के द्वारा दो माह से भी कम अवधि में निर्णय सुनाया गया है जो असामान्य अवधि नहीं है।

22– उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन कि पुनर्विलोकन न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित होता है वह अपीलीय न्यायालय के सदृश कार्यवाही नहीं कर सकता उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर01995 एस.सी. 455 एवं 1973 आरआरडी 273 से पुष्ट होते हैं। 1994 आरआरडी 335 पर माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि:

"The powers of review should be exercised in the rarest of rare cases."

वस्तुतः विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1992 आरआरडी 388 पर की गई यह टिप्पणी सटीक है:

"The error should be so glaring that the court would not like to retain it on the record."

23– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा अभिलेख के आमुख पर प्रकट ऐसी कोई त्रुटि नहीं दर्शाई है जिसे न्यायालय अभिलेख पर रखना उचित नहीं समझे।

24– फलतः हम इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उनकी पुनर्विलोकन प्रार्थना खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर भारद्वाज)
सदस्य